न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 360 / 2022 GCMS No. 2022/666

हुकुम सिंह पुत्र श्री रामकुवार सिंह उम्र ...... वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थी

ब–ना–म

1. नरपत सिंह पुत्र बाग सिंह
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र बाग सिंह
3. विजेन्द्र सिंह पुत्र बाग सिंह
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र बाग सिंह
5. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र बाग सिंह
6. ईलायची देवी पत्नी बाग सिंह
7. विक्रम सिंह पुत्र भंवर सिंह
8. उदय सिंह पुत्र भंवर सिंह
9. उषा कंवर पुत्री भंवर सिंह
10. सुप्यार कंवर पत्नी स्व. भंवर सिंह
11. नरेन्द्र सिंह पुत्र छाजू सिंह
12. शेर सिंह पुत्र छाजू सिंह
13. सकुन्त कंवर पत्नी छाजू सिंह
14. इलची पत्नर दलीप सिंह
15. नरेन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह
    1 लगायत 15 समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
16. मुन्नी देवी पुत्री दलीप सिंह पत्नी इन्द्र सिंह
17. सुमित्रा देवी पुत्री दलीप सिंह पत्नी जगदीश सिंह
18. मन्जू देवी पुत्री दलीप सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह
    16 लगा. 18 जाति राजपूत निवासी ग्राम चान्दगोठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू, राज0
19. लाली देवी पुत्री दलीप सिंह पत्नी जगदीश सिंह
20. छोटी बाई पुत्री दलीप सिंह पत्नी विक्रम सिंह
    19 लगा. 20 जाति राजपूत निवासी ग्राम जवानीपुरा तहसील तारानगर, जिला चूरू, राज0
21. आनन्द देवी पुत्री दलीप सिंह पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नापला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह – प्रार्थी की ओर से
2. श्री पाबूदान सिंह निर्वाण – अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7, 10 व 11 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 02/12/2025

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या नया 14 में दर्ज खसरा नंबर 701 रकबा 0.07 है., ख.नं. 702 रकबा 0.42 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है. भूमि में प्रार्थी हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वर्तमान में प्रार्थी मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। वाके ग्राम ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या नया 58 में दर्ज खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 तथा अप्रार्थी सं. 14 के पति व अप्रार्थीगण सं. 15 लगा. 21 का पिता दलीप सिंह पुत्र मंगेज सिंह संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 अप्रार्थी सं. 14 लगा. 21 मौके पर भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। वाके ग्राम ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या नया 217 में दर्ज खसरा नंबर 699 रकबा 1.54 है. की भूमि में अप्रार्थीगण सं. 7 लगा. 10 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। वाके ग्राम ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी अंतिम चौसाला संवत् 2075 लगा. 2078 के खाता संख्या नया 74 में दर्ज खसरा नंबर 698 रकबा 2.70 है. की भूमि में अप्रार्थीगण सं. 11 लगा. 13 संयुक्त खातेदार काश्तका दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। खातेदार दलीप सिंह पुत्र मंगेज सिंह फौत हो चुका है जिसके विधिक वारशान प्रतिवादी सं. 14 लगा. 21 है। प्रार्थी के खेत ग्राम ढाणी बाढान स्थित खसरा नंबर 702 रकबा 0.42 है. भूमि में जाने के लिए जसरापुर से ढाणी बाढान जाने वाली मुख्य सड़क से पूर्वी दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 7 लगा. 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 699 रकबा 1.54 है. की उत्तरी मेड के सहारे 6 फुट व अप्रार्थीगण सं. 11 लगा. 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 698 रकबा 2.70 है. की दक्षिणी मेड के सहारे 6 फुट चौड़ा रास्ता, इस प्रकार कुल 12 फुट चौड़ा रास्ता फिर आगे उत्तर की ओर घुमकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 तथा अप्रार्थीगण सं. 15 लगा. 21 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे, फिर आगे पूर्व की तरफ घुमकर खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. की उत्तरी मेड के सहारे सहारे, फिर आगे दक्षिण की तरफ घुमकर खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. की पूर्वी मेड के सहारे सहारे प्रार्थी के खसरा नंबर 702 रकबा 0.42 है. तक जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता चालू है उसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है और इधर से ही प्रार्थी अपने खेत में साधन लाता व ले जाता है इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा नंबर 702 रकबा 0.42 है. में साधन लाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी का यह रास्ता कदीम से प्रार्थी के आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है उक्त रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 702 रकबा 0.42 है. तक पहुंचने के लिए मौजूद है जो सबसे छोटा व जसरापुर से ढाणी बाढान जाने वाली मुख्य सड़क से सबसे कम दूरी का है इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिए या भूमि के बदले भूमि देने का निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 21 इंकार हो गये जबकि उक्त रास्ता प्रार्थी के कदीम से ही विद्यमान रहा है और यही से ही उपयुक्त रास्ता संभव है जो सबसे छोटा व जसरापुर से ढाणी बाढान जाने वाली मुख्य सड़क से सबसे कम दूरी का है। इसलिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ और प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत ग्राम ढाणी बाढान स्थित खसरा नंबर 702 रकबा 0.42 है. में जाने के लिए जसरापुर से ढाणी बाढ़ान जाने वाली मुख्य सड़क से पूर्वी दिशा में फटकर अप्रार्थीगण सं. 7 लगा. 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 699 रकबा 1.54 है. की उत्तरी मेड के सहारे 6 फुट व अप्रार्थीगण सं. 11 लगा. 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 698 रकबा 2.70 है. की दक्षिणी मेड के सहारे 6 फुट चौड़ा रास्ता, इस प्रकार कुल 12 फुट चौड़ा रास्ता फिर आगे उत्तर की ओर घुमकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 तथा अप्रार्थीगण सं. 15 लगा. 21 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. की पश्चिम मेड के सहारे—सहारे फिर आगे पूर्व की तरफ घुमकर खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. की उत्तरी मेड के सहारे—सहारे फिर आगे दक्षिण की तरफ घुमकर खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. की पूर्वी मेड के सहारे—सहारे प्रार्थी के ख.नं. 702 रकबा 0.42 है. तक जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमी किया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7, 10 व 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिये चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थी ने पहले भी एक प्रार्थना पत्र संख्या 208/2022 बाबत रास्ता चाहने अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम उदय सिंह आदि पेश किया था जिसमें पटवारी व तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता देने के लिए 1200 वर्गमीटर भूमि अवाप्त किया जाना प्रदर्शित किया जिसकी डीएलसी 129130/— रूपये है जिसकी दुगुनी राशि 258260/— रूपये बनती है। तब प्रार्थी ने डीएलसी राशि कम कर दुबारा रिपोर्ट पेश करने के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों से साज व मिलीभगत कर उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 208/2022 विड्रा कर लिया तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों से साज व मिलीभगत कर यह नया प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें नई पटवारी व तहसीलदार रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थी को रास्ता देने के लिए 1220 वर्गमीटर भूमि अवाप्त किया जाना प्रदर्शित किया जिसकी डीएलसी मात्र 91586/— बतायी गई जिसकी दुगुनी राशि 183175/— रूपये बतायी गई है जबकि पूर्व प्रार्थना पत्र में 1200 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी 129130/— रूपये बताई गई है जिसकी दुगुनी राशि 258260/—रूपये बताई गई जबकि अवाप्त की जाने वाली भूमि बढ़ने पर डीएलसी राशि अधिक होनी चाहिए ना कि कम होनी चाहिए। जिससे प्रार्थी की दुर्भावना स्पष्ट प्रदर्शित होती है तथा अप्रार्थीगण को अधिक भूमि अवाप्त कर कम डीएलसी से भुगतान करने पर अप्रार्थीगण को नुकसान होना निश्चित है जो न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नंबर 702 में जाने के लिए खसरा नंबर 698 की दक्षिण सीमा के सहारे 6 फुट व खसरा नंबर 699 की उत्तरी सीमा के सहारे 6 फुट चाहा है तथा आगे खसरा नंबर 699 के उत्तरी—पूर्वी कौने में सम्पूर्ण रास्ता केवल खसरा नंबर 699 में से तथा उसके आगे सम्पूर्ण रास्ता केवल खसरा नंबर 700 में ही पश्चिमी सीमा व आगे उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहा है जबकि प्रार्थी को 6 फुट रास्ता खसरा नंबर 699 व 700 की सीमा के सहारे—सहारे तथा 6 फुट रास्ता खसरा नंबर 698 की सीमा के सहारे सहारे दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का यह रास्ता कदीमी नहीं है तथा प्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 702 में जाने के लिए वैकल्पिक रासता मौजूद है जो सबसे निकटतम व लघुतम है जिससे प्रार्थी आवागमन भी करता है। अतः पटवारी व तहसीलदार से प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति मं सही नपती करवाकर व डीएलसी राशि का सही तरीके से निर्धारण करवाकर दुबारा रिपोर्ट मंगवाई जावे व अप्रार्थीगण के साथ न्याय किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

अप्रार्थी सं. 8, 9 व 12 लगा. 21 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 12 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने वादग्रस्त भूमि बाबत जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/2004 दिनांक 12.12.2022 द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है कि :-

1. वादी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 701 रकबा 0.07 है. ख.नं. 702 रकबा 0.42 है. किता 2 कुल रकबा 0.49 है. में पुख्ता आवासीय मकान व ट्यूबवेल कनेक्शन लेकर रहवास व कृषि कार्य कर रहा है। अतः प्रस्तावित रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है न कि जोत मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु।
2. वादी के अपनी खातेदारी भूमि व रहवासीय मकानात में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक साधन अर्थात रास्ता नहीं है वर्तमान में प्रार्थी व उसका परिवार प्रस्तावित रास्ता की जगह यदि क से ख तक पगडंडी से ही आवागमन कर रहा है।
3. आवेदक द्वारा चाहा गया रासता को नक्शा ट्रेस में प्रथम बिन्दू जसरापुर से ढाणी बाढा सड़क से आवेदक की भूमि तक लाल स्याही से दर्शित किया गया है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं सबसे लघुतम दूरी का है इसके अलावा अन्य कोई कटानी एवं निकटतम नहीं है।
4. आवेदक द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता में ख.नं. 698 रकबा 0.70 है. में सड़क से दक्षिण सीमा के सहारे-सहारे 150X2 =300 वर्गमीटर व ख.नं. 699 रकबा 1.54 है. की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे 150X2=300 वर्गमीटर व उत्तरी पूर्वी कौने में सम्पूर्ण खसरा नंबर 699 में 15X4= 60 वर्गमीटर कुल 360 वर्गमीटर चूंकि उक्त कौन पर ख.नं. 698 में पुराना आवासीय पुख्ता मकान बना है तथा आगे चलकर ख.नं. 700 रकबा 1.35 है. में पश्चिमी सीमा के सहारे उत्तर की तरफ फिर पूर्व की तरफ व आगे चलकर दक्षिण की तरफ चलकर आवेदक की भूमि ख.नं. 702 में बने मकानात से अगे कुल लम्बाई 150 व चौड़ाई 4 मीटर का बनता है जिसको नक्शा ट्रेस में मार्क कर बिन्दुवार दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल ख.नं. 698 में 150X2=300 वर्गमीटर व ख.नं. 699 में 360 वर्गमीटर व ख.नं. 700 में 560 वर्गमीटर भूमि आयेगी जिसकी डीएलसी 91586 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 183175/- रूपये है।
5. प्रस्तावित रास्ते में ख.नं. 700 की उत्तरी सीमा पर दो नीम के हरे पेड़ व खेजड़ी का हरा पेड़ हटाया जाना अपेक्षित है जिसकी 5000/- रूपये कीमत होगी तथा इसके अलावा झाड़ जखाड़ को हटाया जाना अपेक्षित है।

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त रिपोर्ट के साथ भू-अभिलेख निरीक्षक वृत जसरापुर व पटवारी हल्का मानोता जाटान की मूल मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न कर भिजवाये हैं जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2075-78 खाता संख्या 14, खाता सं. 217, खाता सं. 74, खाता सं. 58 ग्राम ढाणी बाढ़ां व प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा पेश किया।

अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7, 10 व 11 की ओर अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल कार्यालय तहसीलदार, खेतड़ी का पत्र क्रमांक राजसव/2022/858 दिनांक 12.8.22, नकल कार्यालय भू.अ.नि. वृत जसरापुर की जांच रिपोर्ट, नकल प्रार्थना पत्र प्रार्थी हुकुम सिंह जो न्यायालय हाजा में दिनांक 27.9.22 को पेश किया गया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व संयुक्त जांच रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक वृत जसरापुर व पटवारी हल्का मानोता जाटान का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.12.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू-अभिलेख निरीक्षक जसरापुर व पटवारी हल्का मानोता जाटान में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] सहायक कलक्टर

कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 702 ग्राम ढाणी बाढ़ां में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 698, 699 व 700 ग्राम ढाणी बाढ़ां में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 1220 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 702 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 15–12–2022 के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढाणी बाढ़ां तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 702 रकबा 0.42 है. में जाने के लिए ग्राम ढाणी बाढ़ा स्थिति भूमि खसरा नंबर 698 रकबा 0.70 है. में से 300 वर्गमीटर, खसरा नंबर 699 रकबा 1.54 है. में से 360 वर्गमीटर व खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. में से 560 वर्गमीटर पुख्ता आम रास्ता मुख्य सड़क जसरापुर–ढाणी बाढ़ा तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 698 रकबा 0.70 है. में से 300 वर्गमीटर, खसरा नंबर 699 रकबा 1.54 है. में से 360 वर्गमीटर व खसरा नंबर 700 रकबा 1.35 है. में से 560 वर्गमीटर अर्थात् कुल 1220 वर्गमीटर (0.1220 है.) रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। चूंकि पक्षकारान अप्रार्थीगण प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते के बिन्दु संख्या 'क' से 'ख' की वर्तमान DLC की दर से 1220 वर्गमीटर (0.1220 है.) भूमि की दुगुनी राशि 183175/–रू. (अक्षरे एक लाख तिरासी हजार एक सौ पिचेहत्तर रूपये) प्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेगी। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 698, 699 व 700 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की राशि रू. 183175/– नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 698, 699, 700 के रकबे में से रास्ते की बाबत 1220 वर्गमीटर (0.1220 है.) भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक ......02/1/25...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी
सत्यमेव जयते